अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, राँची

अधिहरण वाद सं० 05 आर० 28/2023–24

05
23.12.2023

राज्य

बनाम

1. हितेश कुमार महतो पिता गिरिधर महतो निवासी केयर ऑफ सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी मकान सं० 530/2, गोलपहाडी, रेलवे कॉलोनी, टाटानगर, परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम (वाहन सं० JH05CY-7440 का निबंधित स्वामी)

2. अमूल्य अहीर पिता शिवधन अहीर निवासी ग्राम राहे, थाना सोनाहातु, जिला राँची (वाहन सं० JH01CT-8286 का निबंधित स्वामी)

.... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची के पत्रांक सं० 2120/अप० शा० (ग्रा०) दिनांक 26.04.2023 द्वारा सोनाहातु (राहे) थाना कांड सं0–71/22 दिनांक 18.12.2022 धारा– 379 भा०द०वि० 4/21 MMDR Act, 1951 & 7/09 of Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 and 54 JMMC Rules में अवैध रूप से बालु के परिवहन करने के आरोप मे जप्त हाईवा वाहन संख्या–(1) JH05-CY-7440, एवं John Deere Tractor No.- JH01-CT-8286 को राजसात की कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार – वादी अंचल अधिकारी राहे, राँची के द्वारा उपरोक्त वाहनों पर अवैध बालु के परिवहन करने के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी सोनाहातु (राहे) थाना कांड सं0–71/22 दिनांक 18.12.2022 धारा– 379 भा०द०वि० 4/21 MMDR Act, 1951 & 7/09 of Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 and 54 JMMC Rules दर्ज कराया गया है। उनके अनुसार ग्राम कोकराडीह पुल के निकट पंचायत होटलो मे अवैध रूप से बालु

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

परिवहन अन्यत्र बेचने के नियत से किया जा रहा था गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाना – ओ० पी० राहे के साथ संयुक्त रूप से छापामारी के क्रम मे दिनांक 18.12.2022 को सुबह 07:00 बजे ग्राम कोकरोडीह पुल के निकट पंचायत होटलों के निकट जाँच के क्रम मे बालू लदे ट्रैक्टर एवं हाईवा द्वारा अवैध बालू का उठाव एवं अनाधिकृत परिवहन करते हुए हाईवा वाहन संख्या–(1) JH05-CY-7440, एवं John Deere Tractor No.- JH01-CT-8286 को जप्त किया गया।

विपक्षी के अनुसार – पुलिस के द्वारा उपरोक्त वाहन Rule II (iv) Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 के अनुसार जप्त नही किया गया है। विपक्षी का जप्ती सूची उपलब्ध नही कराई गई है। पुलिस के द्वारा उपरोक्त वाद के अंतिम निष्पादन के पूर्व है अधिहरण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, अतः यह वाद अपरिपक्व है तथा संधारणीय नही है। उपरोक्त प्राथमिकी MMDR Act के धारा 22 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा नही किया गया है।/ प्रश्नगत वाहन मे बालू का परिवहन मे विपक्षी/वाहन मालिक को कोई संलिप्तता नही है। उपरोक्त वाहन विपक्षी के जीवनयापन का एकमात्र सहारा है।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 के नियम 54 (5) के अनुसार विपक्षी को जप्त किये गये लघु खनिज के दुगुना मुल्य चुकता करने संबंध आदेश पारित करने हुए जप्त वाहन को छोड़ने का आदेश दिये जाने का प्रावधान है। General Insurance Council & Ors Vs State of AP & Other 2010 (3) JCR 92 (SC)] के अनुसार the vehicle which has been seized, is said to have been hypothecated to a financial Institution and in that event, it would not be proper and appropriate to allow the vehicle to be kept in the police custody.

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालू (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है। विपक्षी यह साबित करने के विफल रहे है कि उपरोक्त परिवहन उनके

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	जानकारी के बगैर किया गया है तथा लघु खनिज के अवैध परिवहन मे उनकी संलिप्तता नही है। अतः पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रॉंची द्वारा अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर सोनाहातु (राहे) ओ० पी० कांड सं0–71/22 दिनांक 18.12.2022 में अवैध रूप से बालू के परिवहन करने के आरोप मे जप्त वाहन संख्या–(1) JH05-CY-7440 & (2) JH01-CT-8286 को राजसात किया जाता है। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉंची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त रॉंची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:05:19 -08:00
Location: 192.168.1.4